न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1149–दो/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 31–12–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला दमोह के निगरानी प्रकरण क्रमांक 14/अ–6/12–13

अनंदी लाल वल्द राजाराम कुर्मी
सा0 चम्पत पिपरिया रा0नि0मं0 नरसिंहगढ
तहसील पथरिया जिला दमोह

– आवेदक

विरूद्ध

1 सुमतरानी उम्र 50 साल बेवा राजाराम राय
सा0 फुटेरा वार्ड दमोह तहसील व जिला दमोह
2 श्रीमति यशोदा बाई उम्र करीब 55 साल बेवा टीकाराम राय
सा0 फुटेरा तहसील बटियागढ जिला दमोह (मृतक लाऔलाद)
3 भुवानी प्रसाद राय उम्र 25 साल पिता मंगल प्रसाद राय
सा0 ककरा कोपरा तहसील पथरिया जिला दमोह

.....अनावेदकगण

श्री शरद कुमार तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री नारायण सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4.2.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 1149–दो/13 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 14/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 31–12–2012 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2/ प्रकरण में गैर निगराकार पक्ष से दिए गए धारा 5 आवेदन और निगराकार द्वारा दिये गये उसके उत्तर का अवलोकन किया गया ।

3/ कलेक्टर के आदेश दिनांक 31–12–12 की जानकारी निगराकार को दिनांक 31–3–13 को मिली, जिसके बाद उन्होंने नकल आवेदन लगाया, नकल उन्हें 26–2–13 को मिली, जिसके बाद उन्होंने राजस्व मण्डल में यह निगरानी 8–3–13 को प्रस्तुत की, जो समय सीमा में प्रस्तुत हुई होनी मान्य की जाती है । निगरानी मेमों के अंतिम पैरा में अनुविभागीय अधिकारी दमोह के अपील प्रकरण कमांक 51 ब/121/10–11 में पारित आदेश दिनांक 20–12–11 को निरस्त करने की प्रार्थना भी की गई है । चूंकि पूर्व में इस आदेश दिनांक 20–12–11 के विरूद्ध का निगरानी प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में लंबित रहा है, अतः कलेक्टर न्यायालय से संबंधित अवधि को विचार में लेते हुए, राजस्व मण्डल के समक्ष, आदेश दिनांक 20–12–11 के विरूद्ध की इस निगरानी को भी समय सीमा में होना, न्यायहित में, मान्य किया जा रहा है ।

4/ ऐसा करने के बाद प्रकरण पर राजस्व मण्डल में ग्राह्यता के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है । चूँकि कलेक्टर के आदेश दिनांक 31–12–12 से उनके समक्ष का प्रकरण अधिकारिता बाह्य मानते हुए खारिज किया गया है, जिससे मैं (अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम स्वरूप का नहीं होने के कारण) सहमत हूँ, अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20–12–11 के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष की इस निगरानी की ग्राह्यता पर विचार कर रहा हूँ ।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 20–12–11 के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि उनके द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है । हालांकि यह आदेश संहिता की धारा 49 में दिनांक 30–12–11 को हुए संशोधन के पूर्व का है, किन्तु धारा 49 के वर्तमान स्वरूप के प्रकाश में मैं यह उचित समझता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी को अपने न्यायालय के अपील प्रकरण का अंतिम निराकरण स्वंय करना चाहिए और उसे प्रत्यावर्तित नहीं करना चाहिए ।

6/ अतः मैं अनुविभागीय अधिकारी दमोह को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का अपील प्रकरण क्रमांक 51ब/121/10–11 पुनः खोलें, और उसमें अपने स्तर पर उभयपक्ष को पक्ष समर्थन, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का अवसर देते हुए, गुणदोष के आधार पर, बोलते स्वरूप का अंतिम आदेश स्वंय पारित करें । ऐसा आदेश, अनुविभागीय अधिकारी उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर पारित करें । तब तक के लिए अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण में पारित पूर्व आदेश दिनांक 20–12–11 प्रभावहीन रहेगा ।

आदेश पारित ।
पक्षकार एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह सूचित हो ।
अभिलेख अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित हो ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

4.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर